

(26)

अमल अधिकारी जोकिपडा का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 27(X) 20/8-19

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

02.4.18

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज भुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0भिति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1986 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- मिहलुवा थाना- 208 छाता संख्या- 70 प्लॉट संख्या- —
एकबा- 1.09 एकड़ की भूमि जो गैरमजसूआ खास, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के छाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- I के पृष्ठ संख्या- 118 पर जमाबंदी रयत पंचम सुर्मा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपधान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम/जामबंदी को सुदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आवेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोढ़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध स्वराज्य निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथै उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।


अभिलेख दिनांक- 10.4.18 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

[Signature]
अंचल अधिकारी

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
10.4.18	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अभिलेख दिनांक...16.4.18... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	
16.04.18	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा...कलुवा... थाना सं०...208... खाता सं०...70... प्लॉट सं०...-... कुल रकवा-1.09...एकड़ जो जमाबंदी संख्या-118... में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज वो लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०-118... को रद्द करने हेतु जॉच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी श. वि. १४१ के पत्रांक
६०८ दिनांक १४/५/१४ द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना
पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक २२/६/१४ को प्रस्तुत
करे।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
धनबाद।